



**जोधपुर**  
**विद्युत वितरण**  
**निगम लि०**  
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 2651337 (का) 2651389(नि) फेक्स नं० 2741870  
जोधपुर फोन नं. 0141 2740121 (का) फेक्स नं. 2740121

क्रमांक:- प्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु-पीपीएम/पत्रा० 7८१ /प्रे०रां० 8/8 | जोधपुर, दिनांक:- 8.6.2005

**आदेश**

कृषि कनेक्शन नीति-2004 (संशोधित 18.09.2004) के भाग "स्थान परिवर्तन" के तहत हाल ही में सम्पादित उच्च स्तरीय बैठक में कृषि कनेक्शन के स्थान परिवर्तन के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया ।

इस सम्बन्ध में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये कृषि कनेक्शन नीति-2004 (संशोधित 18.09.2004) के बिन्दु संख्या 22 (भाग-III)-क में आंशिक संशोधन कर यह निर्णय लिया गया है कि कृषि कनेक्शन जारी होने के पश्चात् उसे उसी ग्राम पंचायत में स्थानान्तरित किया जा सकता है जिस ग्राम पंचायत में मूल कनेक्शन जारी किया गया था । साथ ही जिस भूमि पर कनेक्शन स्थानान्तरित किया जाना है उस भूमि का स्वामित्व प्रार्थी के नाम से कम से कम दो वर्ष पूर्व से होना चाहिये ।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।

*(एस.के.विश्वनाई)*  
प्रबन्ध निदेशक  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर